न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 86 / 2023

प्राथीगर्ण — **बनाम** — **विप्रार्थीगण**

प्राथीगर्ण

1. पूराराम पुत्र गोदूराम उम्र 53 वर्ष
2. पुरखाराम पुत्र गोदूराम उम्र 50 वर्ष
3. मूलाराम पुत्र थानाराम उम्र 80 वर्ष
4. वेहनाराम पुत्र गोदूराम उम्र 45 वर्ष
5. हुकमाराम पुत्र गोदूराम (लाऔदाल फौत)
6. पेमीदेवी पत्नि गंगाराम (फौत के कायम मुकाम प्रतिवादी संख्या 7 से 13)
7. जूगताराम पुत्र गंगाराम उम्र 73 वर्ष
8. टीकूराम पुत्र गंगाराम उम्र 60 वर्ष
9. सन्तोषकुमार पुत्र कालूराम उम्र 30 वर्ष
10. मगीदेवी पत्नि कालूराम उम्र 50 वर्ष
11. लखपति पुत्र कालूराम उम्र 25 वर्ष
12. शान्तिदेवी पत्नि हनूमानराम उम्र 45 वर्ष
13. नरेन्द्रकुमार पुत्र हनुमानराम उम्र 18 वर्ष जातियान जाट निवासी सिणधरी उर्फ बेड तहसील सिणधरी जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. जेठाराम पुत्र कालूराम उम्र 30 वर्ष
2. चूनीदेवी पत्नि जालाराम उम्र 50 वर्ष
3. जालाराम पुत्र गोमाराम उम्र 55 वर्ष
4. दुर्गाराम पुत्र कालूराम उम्र 33 वर्ष
5. धनाराम पुत्र गोमाराम उम्र 65 वर्ष
8. पेमाराम पुत्र गोमाराम उम्र 33 वर्ष
7. पूरोंदेवी पत्नि कालूराम उम्र 65 वर्ष
8. मीरोंदेवी पत्नि गोमाराम उम्र 85 वर्ष
9. विरधाराम पुत्र गोमाराम उम्र 51 वर्ष
10. विशनाराम पुत्र कालूराम उम्र 45 वर्ष
11. सोनाराम पुत्र गोमाराम उम्र 57 वर्ष
12. राऊराम पुत्र पदमाराम उम्र 65 वर्ष
13. चूनीदेवी पत्नि राऊराम उम्र 60 वर्ष
14. सुराराम पुत्र अमराराम उम्र 35 वर्ष
15. जूजाराम पुत्र अमराराम उम्र 40 वर्ष
16. जोगाराम पुत्र अमराराम उम्र 45 वर्ष
17. मालीदेवी पत्नि अमराराम उम्र 80 वर्ष
18. राऊमल पुत्र लछाराम उम्र 70 वर्ष
19. लुम्बाराम पुत्र लछाराम उम्र 60 वर्ष
20. मोटाराम पुत्र लछाराम उम्र 80 वर्ष
21. मीरोदेवी पत्नि खंगाराराम उम्र 85 वर्ष
22. लिखमाराम पुत्र खंगाराराम उम्र 68 वर्ष
23. उमाराम पुत्र खंगाराराम उम्र 55 वर्ष जातियान जाट निवासी किशनपुर तहसील सिणधरी जिला बाडमेर
24. [illegible] सदाराम उम्र 80 वर्ष
25. झीमादेवी [illegible] वर्ष
26. [illegible] सदाराम उम्र 45 वर्ष
27. बलवी[illegible] पुत्र रूपाराम उम्र 45 वर्ष
28. भवरलाल चौधरी पुत्र पोकरमल उम्र 32 वर्ष
29. भारूराम पुत्र सदाराम उम्र 70 वर्ष
30. मूलाराम पुत्र सदाराम उम्र 65 वर्ष
31. मेहराराम पुत्र सदाराम उम्र 60 वर्ष
32. मानाराम पुत्र सदाराम उम्र 65 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.14 11:09:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

33. लुम्बाराम पुत्र रूपाराम उम्र 65 वर्ष
जातियान जाट निवासी सिणधरी उर्फ बेड
तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
34. अशोककुमार पुत्र लक्ष्मणराम उम्र 40 वर्ष
35 ईसराराम पुत्र बुधाराम उम्र 50 वर्ष
36. केसाराम पुत्र लालाराम उम्र 55 वर्ष
37. चुनाराम पुत्र लक्ष्मणराम उम्र 65 वर्ष
38 चपादेवी पत्नि वींजाराम उम्र 80 वर्ष
39. जोधाराम पुत्र वींजाराम उम्र 50 वर्ष
40. थानाराम पुत्र बुधाराम उम्र 45 वर्ष
41. नथूदेवी पत्नि बुधाराम उम्र 70 वर्ष
42. पनाराम पुत्र वींजाराम उम्र 45 वर्ष
43. प्राबूराम पुत्र मानाराम उम्र 45 वर्ष
44. पोकरराम पुत्र मानाराम उम्र 55 वर्ष
45. भैराराम पुत्र हरकाराम उम्र 35 वर्ष
46. मूलाराम पुत्र भगाराम उम्र 45 वर्ष
47. मालाराम पुत्र मंगलाराम उम्र 70 वर्ष
48. रूपाराम पुत्र हरकाराम उम्र 50 वर्ष
49. रामाराम पुत्र मानाराम उम्र 60 वर्ष
50. लक्ष्मणराम पुत्र जवाराराम उम्र 65 वर्ष
51. लिछमणाराम पुत्र मंगलाराम उम्र 80 वर्ष
52. विशनाराम पुत्र वीजाराम उम्र 40 वर्ष
53. शम्भूराम पुत्र लालाराम उम्र 50 वर्ष
जातियान भील निवासी सिणधरी उर्फ बेड
तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
54. क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन विभाग कार्यालय
सिणधरी जिला बाड़मेर
55. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि को करने नखम... बाबत)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.14 11:09:46 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल सारण, प्रार्थी की ओर से उपस्थित
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 28.12..2023

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत मौजा किशनपुर पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 1/1 रकबा 6.4720 हैक्टेयर, व खसरा नम्बर 12/2 रकबा 20.6217 हैक्टेयर खातेदारी का अर्वाचीन है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा किशनपुर पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 1/1 रकबा 6.4720 हैक्टेयर, व खसरा नम्बर 12/2 रकबा 20.6217 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा किशनपुर पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 1/1 रकबा 6.4720 हैक्टेयर, व खसरा नम्बर 12/2 रकबा 20.6217 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा किशनपुर पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 1/1 रकबा 6.4720 हैक्टेयर, व खसरा नम्बर 12/2 रकबा 20.6217 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि मौजा किशनपुर पटवार क्षेत्र [illegible] सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 1/1 रकबा 6.4720 हैक्टेयर, व खसरा नम्बर 12/2 रकबा 20.6217 हैक्टेयर प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.14 11:09:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

...कार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में ...पस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा किशनपुर पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 1/1 रकबा 6.4720 हैक्टेयर, व खसरा नम्बर 12/2 रकबा 20.6217 हैक्टेयर के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 28.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.14 11:09:46 IST
Reason: SelfAttested